



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]  
No. 1]नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2008/पौष 11, 1929  
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2008/PAUSA 11, 1929

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2008

**सा.का.नि.1(अ).**— अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 का प्रारूप अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 437(अ), तारीख 19 जून, 2007 के अधीन तारीख 19 जून, 2007 के भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 25-06-2007 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और ऐसे वनों में निवास करने वाले अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 है ।

(2) इनका विस्तार, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. परिभाषाएं.**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) अभिप्रेत है;

- (ख) “वास्तविक जीविका आवश्यकताओं” से, जैसा कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क), खंड (ग) और खंड (घ) में उपबंधित है, वन भूमि पर स्वयं खेती करके उत्पादन के माध्यम से या उपज के विक्रय से स्वयं की और कुटुंब की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अभिप्रेत है;
- (ग) “दावेदार” से ऐसा व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कुटुंब या समुदाय अभिप्रेत है जो अधिनियम में सूचीबद्ध अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने के लिए दावा करता है;
- (घ) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन ‘गौण वन उपज के निपटान’ के अंतर्गत उपज को इकट्ठा करने वाले या समुदाय द्वारा जीविका के लिए ऐसी उपज के उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, वन क्षेत्र में सिर पर रखकर, साइकिल द्वारा या ठेलों के द्वारा परिवहन या विक्रय भी है;
- (ङ) “वन अधिकार समिति” से नियम 3 के अधीन ग्राम सभा द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;
- (च) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

**3. ग्राम सभा—** (1) ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभाओं का संयोजन किया जाएगा और उसके पहले अधिवेशन में वह अपने सदस्यों में से कम से कम दस किन्तु पंद्रह से अनधिक व्यक्तियों को वन अधिकार समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित करेगी जिसमें कम से कम एक-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे :

परंतु ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी :

परंतु यह और कि जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं वहां ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी ।

(2) वन अधिकार समिति अध्यक्ष और सचिव का विनिश्चय करेगी और उसकी सूचना उपखंड स्तर की समिति को देगी ।

(3) जब वन अधिकार समिति का कोई सदस्य व्यक्ति वन अधिकार का दावेदार भी है तब वह उसकी सूचना समिति को देगा और जब उसके दावे पर विचार किया जाएगा तब वह सत्यापन कार्यवाहियों में भाग नहीं लेगा ।

**4. ग्राम सभा के कृत्य—** (1) ग्राम सभा —

(क) वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा का अवधारण करने के लिए कार्यवाही आरंभ करेगी और उससे संबंधित दावों की सुनवाई करेगी;

(ख) वन अधिकारों के दावेदारों की सूची तैयार करेगी और दावेदारों और उनके दावों के ऐसे ब्यौरों का एक रजिस्टर रखेगी जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे;

(ग) वन अधिकारों के संबंध में दावों पर संकल्प, हितबद्ध व्यक्तियों और संबंधित प्राधिकारियों को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर देने के पश्चात्, पारित करेगी और उन्हें उपखंड स्तर की समिति को भेज देगी;

(घ) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) के अधीन पुनर्व्यवस्थापन पैकेजों पर विचार करेगी; और

(ङ) अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए वन्यजीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपने सदस्यों में से समितियों का गठन करेगी ।

(2) ग्राम सभा के अधिवेशन में गणपूर्ति ऐसी ग्राम सभा के सभी सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा होगी;

परंतु जहां किसी गांव में अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों की विषम जनसंख्या है वहां अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजातीय समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के सदस्यों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।

(3) ग्राम सभा को राज्य के प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ।

**5. उपखंड स्तर की समिति—** राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ उपखंड स्तर की समिति का गठन करेगी, अर्थात् :—

(क) उपखंड अधिकारी या समतुल्य अधिकारी — अध्यक्ष

(ख) उपखंड का भारसाधक वन अधिकारी या समतुल्य अधिकारी — सदस्य

(ग) ब्लॉक या तहसील स्तर की पंचायतों के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदिम जनजातीय समूहों के हैं और जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं वहां ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः

अन्य परंपरागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी; या संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तीन सदस्य स्वशासी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् या अन्य समुचित जौनल स्तर की परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी; और

(घ) जनजातीय कल्याण विभाग का उपखंड का भारसाधक अधिकारी या जहां ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां जनजातीय कार्य का भारसाधक अधिकारी।

**6. उपखंड स्तर की समिति के कृत्य - उपखंड स्तर की समिति -**

- (क) प्रत्येक ग्राम सभा को नाजुक पेड़ पौधे और जीव जन्तु के संदर्भ में, जिन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है, वन्यजीव, वन और जैवविविधता के संरक्षण के संबंध में उनके कर्तव्यों और वन अधिकारों के धारक के कर्तव्यों तथा अन्य के कर्तव्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी;
- (ख) ग्राम सभा और वन अधिकार समिति को वन और राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची उपलब्ध कराएगी;
- (ग) संबद्ध ग्राम सभाओं के सभी संकल्पों को एक साथ मिलाएगी;
- (घ) ग्राम सभाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों और ब्यौरों को समेकित करेगी;
- (ङ) दावों की सच्चाई को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं के संकल्पों और मानचित्रों की परीक्षा करेगी;
- (च) किन्हीं वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा के संबंध में ग्राम सभाओं के बीच विवादों की सुनवाई करेगी और उनका न्यायनिर्णयन करेगी;
- (छ) ग्राम सभाओं के संकल्पों से व्यथित व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत राज्य अभिकरण भी हैं, अर्जियों की सुनवाई करेगी;
- (ज) अंतः उपखंड दावों के लिए उपखंड स्तर की समितियों के साथ समन्वय करेगी;
- (झ) सरकारी अभिलेखों में सामंजस्य करने के पश्चात् प्रस्तावित वन अधिकारों के ब्लॉक या तहसील वार प्रारूप अभिलेख तैयार करेगी;
- (ञ) प्रस्तावित वन अधिकारों के प्रारूप अभिलेख के साथ दावों को उपखंड अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति को अंतिम विनिश्चय के लिए अग्रप्रेषित करेगी;
- (ट) वन निवासियों में अधिनियम के अधीन और नियमों में अधिकथित उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करेगी;
- (ठ) दावेदारों को दावों के इन नियमों के उपाबंध - 1 (प्रारूप क और ख) में यथाउपबंधित प्रौफार्मा की आसानी से और निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करेगी;
- (ड) यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभा के अधिवेशन अपेक्षित गणपूर्ति के साथ मुक्त, खुली और निष्पक्ष रीति में किए जाते हैं।

**7. जिला स्तर की समिति - राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ जिला स्तर की समिति का गठन करेगी, अर्थात् :-**

- (क) जिला कलक्टर या उपायुक्त - अध्यक्ष
- (ख) संबद्ध खंड वन अधिकारी या संबद्ध उप वन संरक्षक - सदस्य
- (ग) जिला स्तर की पंचायत के तीन सदस्य जिन्हें जिला पंचायत द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा जिनमें से कम से कम दो अनुसूचित जनजातियों के होंगे जो अधिमानतः ऐसे सदस्य होंगे जो वन निवासी हैं या जो आदिम जनजातीय समूहों के हैं और जहां कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं वहां ऐसे दो सदस्य जो अधिमानतः अन्य परंपरागत वन निवासी हैं और एक महिला सदस्य होगी; या संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तीन सदस्य स्वशासी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् या समुचित जौनल स्तर की परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य होगी; और
- (घ) जनजातीय कल्याण विभाग का जिले का भारसाधक अधिकारी या जहां ऐसा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां जनजातीय कार्य का भारसाधक अधिकारी।

Δ

**8. जिला स्तर की समिति के कृत्य - जिला स्तर की समिति —**

- (क) यह सुनिश्चित करेगी कि नियम 6 के खंड (ख) के अधीन अपेक्षित जानकारी ग्राम सभा या वन अधिकार समिति को उपलब्ध करा दी गई है;
- (ख) इस बारे में परीक्षा करेगी कि क्या सभी दावों, विशेषकर आदिम जनजातीय समूहों, पशु चारकों और यायावर जनजातियों के सभी दावों का अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाधान कर दिया गया है;
- (ग) उपखंड स्तर की समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के दावों और अभिलेख पर विचार करेगी और अंतिम रूप से उनका अनुमोदन करेगी;
- (घ) उपखंड स्तर की समिति के आदेशों से व्यथित व्यक्तियों से अर्जियों की सुनवाई करेगी;
- (ङ) अंतःजिला दावों के संबंध में अन्य जिलों के साथ समन्वय करेगी;
- (च) सुसंगत सरकारी अभिलेखों, जिनके अंतर्गत अधिकारों का अभिलेख भी है, में वन अधिकारों के समावेशन के लिए निदेश जारी करेगी;
- (छ) जैसे ही अभिलेख को अंतिम रूप दे दिया जाए, वन अधिकारों के अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित करेगी; और
- (ज) यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम के अधीन और इन नियमों के उपाबंध 2 और 3 में यथाविनिर्दिष्ट वन अधिकारों और हक के अभिलेख की अधिप्राणित प्रति संबद्ध दावेदार और संबंधित ग्राम सभा को दे दी गई है।

**9. राज्य स्तर की निगरानी समिति — राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ राज्य स्तर की निगरानी समिति का गठन करेगी, अर्थात् :—**

- |   |            |
|---|------------|
| (क) मुख्य सचिव  | — अध्यक्ष; |
| (ख) सचिव, राजस्व विभाग  | — सदस्य;   |
| (ग) सचिव, जनजातीय या समाज कल्याण विभाग  | — सदस्य;   |
| (घ) सचिव, वन विभाग  | — सदस्य;   |
| (ङ) सचिव, पंचायती राज   | — सदस्य;   |
| (च) प्रधान मुख्य वन संरक्षक   | — सदस्य;   |
| (छ) जनजातीय सलाहकार परिषद् के तीन अनुसूचित जनजातीय सदस्य जिन्हें जनजातीय सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा और जहां कोई जनजातीय सलाहकार परिषद् नहीं है वहां राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन अनुसूचित जनजातीय सदस्य; |            |
| (ज) आयुक्त, जनजातीय कल्याण या समतुल्य जो सदस्य-सचिव होगा।   |            |

**10. राज्य स्तर की निगरानी समिति के कृत्य — राज्य स्तर की निगरानी समिति —**

- (क) वन अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए मानदंड और संकेतक तय करेगी;
- (ख) राज्य में वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और उनके निहित होने की प्रक्रिया की निगरानी करेगी;
- (ग) वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और उनके निहित होने की प्रक्रिया के संबंध में छह मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और नोडल अभिकरण को ऐसी विवरणियां और रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी जिनकी नोडल अभिकरण द्वारा मांग की जाए;
- (घ) अधिनियम की धारा 8 में यथावर्णित सूचना की प्राप्ति पर अधिनियम के अधीन संबद्ध प्राधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करेगी;
- (ङ) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन पुनर्स्थापन की निगरानी करेगी।

**11. ग्राम सभा द्वारा दावे फाइल करने, उनका अवधारण और सत्यापन करने की प्रक्रिया—(1) ग्राम सभा,—**

- (क) दावों के लिए मांग करेगी और इन नियमों के उपाबंध 1 में यथाउपबंधित प्रारूप में, दावे स्वीकार करने के लिए वनाधिकार समिति को प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसे दावे, दावों की ऐसी मांग की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, नियम 13 में उल्लिखित कम से कम दो साक्ष्यों के साथ किए जाएंगे :



परंतु ग्राम सभा, यदि आवश्यक समझे, तीन मास की उस अवधि को उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, विस्तारित कर सकेगी ।

(ख) अपने सामुदायिक वन संसाधन के अवधारण की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई तारीख नियत करेगी और जहाँ सारवान अतिव्यापति हो, वहाँ उससे लगी हुई समीपस्थ ग्राम सभाओं को और उप-खंड स्तर समिति को सूचित करेगी ।

(2) वनाधिकार समिति, ग्राम सभा को उसके निम्नलिखित कृत्यों को करने में सहायता देगी,—

- (i) विनिर्दिष्ट प्ररूप में दावे और ऐसे दावों के समर्थन में साक्ष्य प्राप्त करना, उनकी अभिस्वीकृति देना और उन्हें रखना;
- (ii) दावों और साक्ष्य का, मानचित्र सहित, अभिलेख तैयार करना;
- (iii) वनाधिकारों के संबंध में दावेदारों की सूची तैयार करना;
- (iv) इन नियमों में उपबंधित किए गए अनुसार दावों का सत्यापन करना;
- (v) दावे के स्वरूप और विस्तार के संबंध में अपने निष्कर्षों को ग्राम सभा के समक्ष, उसके विचार के लिए प्रस्तुत करेगी ।

(3) प्राप्त किए गए प्रत्येक दावे की वनाधिकार समिति द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति की जाएगी ।

(4) वनाधिकार समिति, इन नियमों के उपाबंध 1 में यथाउपबंधित प्ररूप ख में सामुदायिक वनाधिकारों के लिए ग्राम सभा की ओर से दावें भी तैयार करेगी ।

(5) ग्राम सभा, उप-नियम (2) के खंड (v) के अधीन निष्कर्षों की प्राप्ति पर, वनाधिकार समिति के निष्कर्षों पर विचार करने के लिए, पूर्व सूचना पर बैठक करेगी, समुचित संकल्प पारित करेगी और उसे उप-खंड स्तर समिति को भेजेगी ।

(6) ग्राम पंचायत का सचिव, अपने कृत्यों के निर्वहन में ग्राम सभाओं के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा ।

**12. वनाधिकार समिति द्वारा दावों का सत्यापन करने की प्रक्रिया—**(1) वनाधिकार समिति, संबंधित दावेदार और वन विभाग को सम्यक् सूचना देने के पश्चात्,—

(क) स्थल का दौरा करेगी और स्थल पर दावे के स्वरूप और विस्तार तथा साक्ष्य का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करेगी;

(ख) दावेदार और साक्षियों से कोई अतिरिक्त साक्ष्य या अभिलेख प्राप्त करेगी;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि चारागाही और यायावरी जनजातियों के उन दावों को, जो व्यक्तिगत सदस्यों, समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्था के माध्यम से प्राप्त हुए हों, उनके अधिकारों के अवधारण के लिए, ऐसे समय पर सत्यापित किया जाता है, जब ऐसे व्यक्ति या समुदाय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हों;

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि प्राचीन जनजाति समूह या पूर्व कृषि समुदाय के सदस्य के दावे को, जो उनके समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्था के माध्यम से प्राप्त हुए हों, आवास के उनके अधिकारों के अवधारण के लिए उस समय सत्यापित किया जाता है, जब ऐसे समुदाय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हों; और

(ङ) मान्यता दिए जाने योग्य सीमाचिन्हों को उपदर्शित करते हुए प्रत्येक दावे के क्षेत्र को अंकित करने वाला मानचित्र तैयार करेगी ।

(2) तत्पश्चात् वनाधिकार समिति दावे के संबंध में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगी और उन्हें ग्राम सभा को उसके विचार के लिए प्रस्तुत करेगी ।

(3) यदि किसी दूसरे ग्राम की परंपरागत या रुढ़िगत सीमाओं के संबंध में विरोधी दावे हैं या यदि किसी वन क्षेत्र का एक से उपयोग अधिक ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है तो संबंधित ग्राम सभाओं की वनाधिकार समितियाँ ऐसे दावों के उपभोग के स्वरूप का विचार करने के लिए संयुक्त रूप से बैठक करेगी और संबंधित ग्राम सभाओं को लिखित में निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी :

परंतु यदि ग्राम सभाएं विरोधी दावों का समाधान करने में समर्थ नहीं हैं तो उसे ग्राम सभा द्वारा उप-खंड स्तर समिति को उसका समाधान करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) सूचना, अभिलेखों या दस्तावेजों के लिए ग्राम सभा या वनाधिकार समिति के अनुरोध पर, संबंधित प्राधिकारी, यथास्थिति, ग्राम सभा या वनाधिकार समिति को उसकी अधिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएंगे और यदि अपेक्षित हो, किसी प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण सुकर कराएंगे ।

13. वनाधिकारों के अवधारण के लिए साक्ष्य—वनाधिकारों को मान्यता देने और निहित करने के लिए साक्ष्य में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

- (क) गजेटियर, जनगणना, सर्वेक्षण और बंदोबस्त रिपोर्टें, मानचित्र, उपग्रहीय चित्र, कार्य योजनाएं, प्रबंध योजनाएं, लघु योजनाएं, वन जांच रिपोर्टें, अन्य वन अभिलेख, अधिकारों के अभिलेख, पट्टा या लीज, चाहे कोई भी नाम हो, सरकार द्वारा गठित समितियों और आयोगों की रिपोर्टें, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, संकल्प जैसे लोक दस्तावेज, सरकारी अभिलेख;
  - (ख) मतदाता पहचानपत्र, राशनकार्ड, पासपोर्ट, गृहकर रसीदें, मूल निवास प्रमाणपत्र जैसे सरकारी प्राधिकृत दस्तावेज;
  - (ग) गृह, झोपड़ी और भूमि में किए गए स्थायी सुधारों जैसे वास्तविक कार्य, जिसके अंतर्गत समतल करना, बंध, चैकबंध बनाना और इसी प्रकार के कार्य हैं;
  - (घ) अर्द्धन्यायिक और न्यायिक अभिलेख, जिसके अंतर्गत न्यायालय आदेश और निर्णय भी हैं;
  - (ङ) उन रूढ़ियों और परंपराओं का अनुसंधान अध्ययन, दस्तावेजीकरण, जो किन्हीं वनाधिकारों के उपभोग को स्पष्ट करते हैं और जिनमें भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जैसी ख्यातिप्राप्त संस्थाओं द्वारा रूढ़िजन्य विधि का बल है;
  - (च) तत्कालीन रजवाड़ों या प्रांतों या ऐसे अन्य मध्यवर्तियों से प्राप्त कोई अभिलेख, जिसके अंतर्गत मानचित्र, अधिकारों का अभिलेख, विशेषाधिकार, रियायतें, समर्थन भी हैं;
  - (छ) कुएं, कब्रिस्तान, पवित्र स्थल जैसी पुरातत्ता को स्थापित करने वाली परंपरागत संरचनाएं;
  - (ज) पूर्व भूमि अभिलेखों में उल्लिखित या पुराने समय में गांव के वैध निवासी के रूप में मान्यताप्राप्त व्यष्टियों के पुरखों का पता लगाने वाली वंशावली;
  - (झ) लेखबद्ध किए गए, दावेदार से भिन्न बुजुर्गों का कथन ।
- (2) सामुदायिक वनाधिकारों के साक्ष्य में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—
- (क) निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों;
  - (ख) परंपरागत चारागाह; जड़े और कंद, चारा, वन्य खाद्य फल और अन्य लघु वन उत्पाद जमा करने के क्षेत्र; मछली पकड़ने के स्थान, सिंचाई प्रणालियां; मानव या पशु धन के उपयोग के लिए जल के स्रोत, औषधिय पौधों का संग्रह, जड़ी-बूटी औषधी व्यवसायियों के क्षेत्र;
  - (ग) स्थानीय समुदायों द्वारा बनाई गई संरचनाओं के अवशेष, पवित्र वृक्ष, गुफाएं और तालाब या नदी क्षेत्र, कब्रिस्तान या शमशानगृह ।

(3) ग्राम सभा, उप-खंड स्तर समिति और जिला समिति, वनाधिकारों का अवधारण करने में ऊपर उल्लिखित एक से अधिक साक्ष्यों पर विचार करेंगी ।

14. उप-खंड स्तर समिति को याचिकाएं —(1) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति, संकल्प की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, उप-खंड स्तर समिति को याचिका फाइल कर सकेगा ।

(2) उप-खंड स्तर समिति, सुनवाई की तारीख नियत करेगी और याची और संबंधित ग्राम सभा को उसकी लिखित में सूचना देने के साथ ही, सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व याची के ग्राम में किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर, सूचना लगाकर भी सूचित करेगी ।

(3) उप-खंड स्तर समिति या तो याचिका को मंजूर या नामंजूर करेगी या उसे संबंधित ग्राम सभा को उसके विचार के लिए निर्दिष्ट करेगी ।

(4) ऐसे निर्देश की प्राप्ति के पश्चात्, ग्राम सभा तीस दिन की अवधि के भीतर बैठक करेगी, याची को सुनेगी, उस निर्देश पर कोई संकल्प पारित करेगी और उसे उप-खंड स्तर समिति को भेजेगी ।

(5) उप-खंड स्तर समिति ग्राम सभा के संकल्प पर विचार करेगी और याचिका को या तो स्वीकार या अस्वीकार करके समुचित आदेश पारित करेगी ।

(6) लंबित याचिकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-खंड स्तर समिति, अन्य दावेदारों के वनाधिकारों के अभिलेखों की परीक्षा करेगी और उन्हें एकत्रित करेगी तथा संबंधित उप-खंड अधिकारी के माध्यम से उन्हें जिला स्तर समिति को प्रस्तुत करेगी ।

(7) दो या अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवाद की दशा में और किसी ग्राम सभा द्वारा किए गए किसी आवेदन पर या उपखंड स्तर समिति द्वारा स्व-प्रेरणा से विवाद का समाधान करने की दृष्टि से संबंधित ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाएगी और यदि तीस दिन की अवधि के भीतर किसी परस्पर रूप से सहमत किया गया कोई समाधान नहीं हो सकता है तो उपखंड स्तर समिति संबंधित ग्राम सभाओं की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी।

**15. जिला स्तर समिति को याचिकाएं**—(1) उपखंड स्तर समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उपखंड स्तर समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, जिला स्तर समिति को याचिका फाइल कर सकेगा।

(2) जिला स्तर समिति, सुनवाई की तारीख नियत करेगी और याची तथा संबंधित उपखंड स्तर समिति को उसकी लिखित में सूचना देने के साथ ही सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व याची के ग्राम में किसी सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर, सूचना लगाकर भी सूचित करेगी।

(3) जिला स्तर समिति या तो याचिका को मंजूर या नामंजूर करेगी या उसे संबंधित उपखंड स्तर समिति को उसके विचार के लिए निर्दिष्ट करेगी।

(4) ऐसे निर्देश की प्राप्ति के पश्चात् उपखंड स्तर समिति तीस दिन की अवधि के भीतर बैठक करेगी, याची और ग्राम सभा को सूनेगी, उस निर्देश का विनिश्चय करेगी और उसकी सूचना जिला स्तर समिति को देगी।

(5) तत्पश्चात् जिला स्तर समिति याचिका पर विचार करेगी और याचिका को या तो स्वीकार या अस्वीकार करके समुचित आदेश पारित करेगी।

(6) जिला स्तर समिति दावेदार या दावेदारों के वनाधिकारों के अभिलेखों को, सरकार के अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करने के लिए जिला कलक्टर या जिला आयुक्त को भेजेगी।

(7) दो या अधिक उपखंड स्तर समितियों के आदेशों के बीच किसी फर्क की दशा में, जिला स्तर समिति स्व-प्रेरणा से, मतभेदों का समाधान करने की दृष्टि से संबंधित उपखंड स्तर समितियों की संयुक्त बैठक बुलाएगी और यदि किसी परस्पर रूप से सहमत किया गया कोई समाधान नहीं हो सकता है तो जिला स्तर समिति संबंधित उपखंड स्तर समितियों की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद को अधिनिर्णीत करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी।

[फा. सं. 17014/02/2007-पी.सी. एंड वी. (जिल्द VII)]

डॉ. नचित्तर सिंह, संयुक्त सचिव

#### उपाबंध 1

[नियम 6(झ) देखें]

प्रारूप-क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[नियम 11(1)(क) देखें]

1. दावेदार(रों) का/के नाम :
2. पति/पत्नी का नाम :
3. पिता/माता का नाम :
4. पता :
5. ग्राम :
6. ग्राम पंचायत :
7. तहसील/तालुका :
8. जिला :
9. (क) अनुसूचित जनजाति : हां/नहीं  
(प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)  
(ख) अन्य परंपरागत वन निवासी : हां/नहीं  
(यदि पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से है प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

10. कुटुंब के अन्य सदस्यों का नाम और आयु  
(बालकों व वयस्क आश्रितों सहित)

भूमि पर दावे का स्वरूप :

1. अधिभोग की गई भूमि का विस्तार  
(क) निवास के लिए :  
(ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो :
2. विवादित भूमि, यदि कोई हो :  
[अधिनियम की धारा 3(1)(क) देखें]
3. पट्टे/पट्टे/अनुदान, यदि कोई हो :  
[अधिनियम की धारा 3(1)(छ) देखें]
4. यथावत् पुनर्वास के लिए भूमि या आनुकल्पिक  
भूमि यदि कोई हो :  
[अधिनियम की धारा 3(1)(ड) देखें]
5. भूमि, जहां से भूमि प्रतिकर दिए बिना  
विस्थापित किए गए हैं :  
[अधिनियम की धारा 4(8) देखें]
6. वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो :  
[अधिनियम की धारा 3(1)(ज) देखें]
7. अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :  
[अधिनियम की धारा 3(1)(झ) देखें]
8. समर्थन में साक्ष्य :  
(नियम 13 देखें)
9. अन्य कोई सूचना :

दावेदार(रों) के  
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रारूप ख

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप  
[नियम 11(1)(क) और (4) देखें]

1. दावेदार(रों) का/के नाम :  
क. एफडीएसटी समुदाय : हां/नहीं  
ख. ओटीएफडी समुदाय : हां/नहीं
2. ग्राम :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :—

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :  
[अधिनियम की धारा 3(1)(ख) देखें]
2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार, यदि कोई हो :  
[अधिनियम की धारा 3(1)(ग) देखें]

## 3. सामुदायिक अधिकार

क. उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हों :

ख. चरने हेतु, यदि कोई हों :

ग. पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हों,  
[अधिनियम की धारा 3(1)(छ) देखें]4. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास  
की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हों :  
[अधिनियम की धारा 3(1)(ज) देखें]5. जैव विविधता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हों :  
[अधिनियम की धारा 3(1)(ट) देखें]6. अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हों :  
[अधिनियम की धारा 3(1)(ठ) देखें]7. समर्थन में साक्ष्य :  
(नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना :

दावेदार(रों) के

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

## उपाबंध 2

[नियम 8(ज) देखें]

## अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक(कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) :
2. पिता/माता का नाम :
3. आश्रितों का नाम :
4. पता :
5. ग्राम :
6. ग्राम पंचायत :
7. तहसील/तालुका :
8. जिला :
9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :
10. क्षेत्रफल :
11. खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिह्न द्वारा सीमाओं का विवरण :

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी,.....(राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों  
की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं ।

मंडलीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

161/07-2

जिला कलक्टर/उप आयुक्त

## उपाबंध 3

[नियम 8 (6ज) देखें]

## सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम :  
(उपाबंध के अनुसार)
2. ग्राम/ग्राम सभा :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला :
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप
8. शर्तें यदि कोई हों
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण  
रुद्धिजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं.  
सहित प्रमुख सीमा चिन्ह

सामुदायिक वन अधिकार का/ के धारक (कों) का/के नाम :

1. ....
2. ....
3. ....

हम, अधोहस्ताक्षरी,.....(राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में यथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलक्रेटर/उप आयुक्त

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2008

**G.S.R. 1(E).**— Whereas the draft Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007 were published, as required by sub-section (1) of section 14 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) under the notification of the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs number G.S.R.437(E), dated the 19th June, 2007 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) of the same date, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 25-06-2007;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 14 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules for recognizing and vesting the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers residing in such forests, namely :—

**1. Short title, extent and commencement.**— (1) These rules may be called the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007.



(2) They shall extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);
- (b) “bonafide livelihood needs” means fulfilment of sustenance needs of self and family through production or sale of produce resulting from self-cultivation of forest land as provided under clauses (a), (c) and (d) of sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (c) “claimant” means an individual, group of individuals, family or community making a claim for recognition and vesting of rights listed in the Act;
- (d) “disposal of minor forest produce” under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act shall include local level processing, value addition, transportation in forest area through head-loads, bicycle and handcarts for use of such produce or sale by the gatherer or the community for livelihood;
- (e) “Forest Rights Committee” means a committee constituted by the Gram Sabha under rule 3;
- (f) “section” means the section of the Act;

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Gram Sabha.**— (1) The Gram Sabhas shall be convened by the Gram Panchayat and in its first meeting it shall elect from amongst its members, a committee of not less than ten but not exceeding fifteen persons as members of the Forest Rights Committee, wherein at least one-third members shall be the Scheduled Tribes :

Provided that not less than one-third of such members shall be women:

Provided further that where there are no Scheduled Tribes, at least one-third of such members shall be women.

(2) The Forest Rights Committee shall decide on a chairperson and a secretary and intimate it to the Sub-Divisional Level Committee.

(3) When a member of the Forest Rights Committee is also a claimant of individual forest right, he shall inform the Committee and shall not participate in the verification proceedings when his claim is considered.

**4. Functions of the Gram Sabha.**— (1) The Gram Sabha shall —

- (a) initiate the process of determining the nature and extent of forest rights, receive and hear the claims relating thereto;
- (b) prepare a list of claimants of forests rights and maintain a register containing such details of claimants and their claims as the Central Government may by order determine;
- (c) pass a resolution on claims on forest rights after giving reasonable opportunity to interested persons and authorities concerned and forward the same to the Sub-Divisional Level Committee;
- (d) consider resettlement packages under clause (e) of sub-section (2) of section 4 of the Act and pass appropriate resolutions; and
- (e) constitute Committees for the protection of wildlife, forest and biodiversity, from amongst its members, in order to carry out the provisions of section 5 of the Act.

(2) The quorum of the Gram Sabha meeting shall be not less than two-thirds of all members of such Gram Sabha:

Provided that where there is a heterogeneous population of Scheduled Tribes and non Scheduled Tribes in any village, the members of the Scheduled Tribe, Primitive Tribal Groups (PTGs) and pre-agricultural communities shall be adequately represented.

(3) The Gram Sabha shall be provided with the necessary assistance by the authorities in the State.

**5. Sub-Divisional Level Committee.**— The State Government shall constitute Sub-Divisional Level Committee with the following members, namely :—

- (a) Sub-Divisional Officer or equivalent officer — Chairperson;
- (b) Forest Officer in charge of a Sub-division or equivalent officer — member;
- (c) three members of the Block or Tehsil level Panchayats to be nominated by the District Panchayat of whom at least two shall be the Scheduled Tribes preferably those who are forest dwellers, or who belong to the primitive tribal groups and where there are no Scheduled Tribes, two members who are preferably other

traditional forest dwellers, and one shall be a woman member; or in areas covered under the Sixth Schedule to the Constitution, three members nominated by the Autonomous District Council or Regional Council or other appropriate zonal level, of whom at least one shall be a woman member; and

- (d) an officer of the Tribal Welfare Department in-charge of the Sub-division or where such officer is not available the officer in-charge of the tribal affairs.

**6. Functions of the Sub-Divisional Level Committee.**— The Sub-Divisional Level Committee (SDLC) shall—

- (a) provide information to each Gram Sabha about their duties and duties of holder of forest rights and others towards protection of wildlife, forest and biodiversity with reference to critical flora and fauna which need to be conserved and protected;
- (b) provide forest and revenue maps and electoral rolls to the Gram Sabha or the Forest Rights Committee;
- (c) collate all the resolutions of the concerned Gram Sabhas;
- (d) consolidate maps and details provided by the Gram Sabhas;
- (e) examine the resolutions and the maps of the Gram Sabhas to ascertain the veracity of the claims;
- (f) hear and adjudicate disputes between Gram Sabhas on the nature and extent of any forest rights;
- (g) hear petitions from persons, including State agencies, aggrieved by the resolutions of the Gram Sabhas;
- (h) co-ordinate with other Sub-Divisional Level Committees for inter sub divisional claims;
- (i) prepare block or tehsil-wise draft record of proposed forest rights after reconciliation of government records;
- (j) forward the claims with the draft record of proposed forest rights through the Sub-Divisional Officer to the District Level Committee for final decision;
- (k) raise awareness among forest dwellers about the objectives and procedures laid down under the Act and in the rules;
- (l) ensure easy and free availability of proforma of claims to the claimants as provided in Annexure-I (Forms A and B) of these rules;
- (m) ensure that the Gram Sabha meetings are conducted in free, open and fair manner with requisite quorum.

**7. District Level Committee.**— The State Government shall constitute District Level Committee (DLC) with the following members, namely :—

- (a) District Collector or Deputy Commissioner - Chairperson;
- (b) concerned Divisional Forest Officer or concerned Deputy Conservator of Forest - member;
- (c) three members of the district panchayat to be nominated by the district panchayat, of whom at least two shall be the Scheduled Tribes preferably those who are forest dwellers, or who belong to members of the primitive tribal groups, and where there are no Scheduled Tribes, two members who are preferably other traditional forest dwellers, and one shall be a woman member; or in areas covered under the Sixth Schedule to the Constitution, three members nominated by the Autonomous District Council or Regional Council of whom at least one shall be a woman member; and
- (d) an officer of the Tribal Welfare Department in-charge of the district or where such officer is not available, the officer in-charge of the tribal affairs.

**8. Functions of District Level Committee.**— The District Level Committee shall—

- (a) ensure that the requisite information under clause (b) of rule 6 has been provided to Gram Sabha or Forest Rights Committee;
- (b) examine whether all claims, especially those of primitive tribal groups, pastoralists and nomadic tribes, have been addressed keeping in mind the objectives of the Act;
- (c) consider and finally approve the claims and record of forest rights prepared by the Sub-Divisional Level Committee;
- (d) hear petitions from persons aggrieved by the orders of the Sub-Divisional Level Committee;
- (e) co-ordinate with other districts regarding inter-district claims;
- (f) issue directions for incorporation of the forest rights in the relevant government records including record of rights;
- (g) ensure publication of the record of forest rights as may be finalized; and

- (h) ensure that a certified copy of the record of forest rights and title under the Act, as specified in Annexures II & III to these rules, is provided to the concerned claimant and the Gram Sabha respectively;

**9. State Level Monitoring Committee.**— The State Government shall constitute a State Level Monitoring Committee with the following members, namely :

- |  |                |
|--|----------------|
| (a) Chief Secretary  | — Chairperson; |
| (b) Secretary, Revenue Department  | — member;      |
| (c) Secretary, Tribal or Social Welfare Department   | — member;      |
| (d) Secretary, Forest Department   | — member;      |
| (e) Secretary, Panchayati Raj  | — member;      |
| (f) Principal Chief Conservator of Forests   | — member;      |
| (g) three Scheduled Tribes member of the Tribes Advisory Council, to be nominated by the Chairperson of the Tribes Advisory Council and where there is no Tribes Advisory Council, three Scheduled Tribes members to be nominated by the State Government; |                |
| (h) Commissioner, Tribal Welfare or equivalent who shall be the Member Secretary .   |                |

**10. Functions of the State Level Monitoring Committee.**— The State Level Monitoring Committee shall—

- devise criteria and indicators for monitoring the process of recognition and vesting of forest rights;
- monitor the process of recognition, verification and vesting of forest rights in the State;
- furnish a six monthly report on the process of recognition, verification and vesting of forest rights and submit to the nodal agency such returns and reports as may be called for by the nodal agency;
- on receipt of a notice as mentioned in section 8 of the Act, take appropriate actions against the concerned authorities under the Act;
- monitor resettlement under sub-section (2) of section 4 of the Act.

**11. Procedure for filing, determination and verification of claims by the Gram Sabha.**— (1) The Gram Sabhas shall —

- call for claims and authorize the Forest Rights Committee to accept the claims in the Form as provided in Annexure-I of these rules and such claims shall be made within a period of three months from the date of such calling of claims along with at least two of the evidences mentioned in rule 13, shall be made within a period of three months:

Provided that the Gram Sabha may, if consider necessary, extend such period of three months after recording the reasons thereof in writing.

- fix a date for initiating the process of determination of its community forest resource and intimate the same to the adjoining Gram Sabhas where there are substantial overlaps, and the Sub-Divisional Level Committee.

(2) The Forest Rights Committee shall assist the Gram Sabha in its functions to —

- receive, acknowledge and retain the claims in the specified form and evidence in support of such claims;
- prepare the record of claims and evidence including maps;
- prepare a list of claimants on forest rights;
- verify claims as provided in these rules;
- present their findings on the nature and extent of the claim before the Gram Sabha for its consideration.

(3) Every claim received shall be duly acknowledged in writing by the Forest Rights Committee.

(4) The Forest Rights Committee shall also prepare the claims on behalf of Gram Sabha for community forest rights in Form B as provided in Annexure I of these Rules.

(5) The Gram Sabha shall on receipt of the findings under clause (v) of sub-rule (2), meet with prior notice, to consider the findings of the Forest Rights Committee, pass appropriate resolutions, and shall forward the same to the Sub-Divisional Level Committee.

(6) The Secretary of Gram Panchayat will also act as Secretary to the Gram Sabhas in discharge of its functions.

**12. Process of verifying claims by Forest Rights Committee.**—(1) The Forest Rights Committee shall, after due intimation to the concerned claimant and the Forest Department—

- (a) visit the site and physically verify the nature and extent of the claim and evidence on the site;
- (b) receive any further evidence or record from the claimant and witnesses;
- (c) ensure that the claim from pastoralists and nomadic tribes for determination of their rights, which may either be through individual members, the community or traditional community institution, are verified at a time when such individuals, communities or their representatives are present;
- (d) ensure that the claim from member of a primitive tribal group or pre-agricultural community for determination of their rights to habitat, which may either be through their community or traditional community institution, are verified when such communities or their representatives are present; and
- (e) prepare a map delineating the area of each claim indicating recognizable landmarks.

(2) The Forest Rights Committee shall then record its findings on the claim and present the same to the Gram Sabha for its consideration.

(3) If there are conflicting claims in respect of the traditional or customary boundaries of another village or if a forest area is used by more than one Gram Sabha, the Forest Rights Committees of the respective Gram Sabhas shall meet jointly to consider the nature of enjoyment of such claims and submit the findings to the respective Gram Sabhas in writing:

Provided that if the Gram Sabhas are not able to resolve the conflicting claims, it shall be referred by the Gram Sabha to the Sub-Divisional Level Committee for its resolution.

(4) On a written request of the Gram Sabha or the Forest Rights Committee for information, records or documents, the concerned authorities shall provide an authenticated copy of the same to the Gram Sabha or Forest Rights Committee, as the case may be, and facilitate its clarification, if required, through an authorised officer.

**13. Evidence for determination of forest rights.**—(1) The evidence for recognition and vesting of forest rights shall, *inter alia*, include

- (a) public documents, Government records such as Gazetteers, Census, survey and settlement reports, maps, satellite imagery, working plans, management plans, micro-plans, forest enquiry reports, other forest records, record of rights by whatever name called, *pattas* or leases, reports of committees and commissions constituted by the Government, Government orders, notifications, circulars, resolutions;
- (b) Government authorised documents such as voter identity card, ration card, passport, house tax receipts, domicile certificates;
- (c) physical attributes such as house, huts and permanent improvements made to land including levelling, bunds, check dams and the like;
- (d) quasi-judicial and judicial records including court orders and judgments;
- (e) research studies, documentation of customs and traditions that illustrate the enjoyment of any forest rights and having the force of customary law, by reputed institutions, such as Anthropological Survey of India;
- (f) any record including maps, record of rights, privileges, concessions, favours, from erstwhile princely States or provinces or other such intermediaries;
- (g) traditional structures establishing antiquity such as wells, burial grounds, sacred places;
- (h) genealogy tracing ancestry to individuals mentioned in earlier land records or recognized as having been legitimate resident of the village at an earlier period of time;
- (i) statement of elders other than claimants, reduced in writing.

(2) An evidence for Community Forest Rights shall, *inter alia*, include—

- (a) community rights such as *nistar* by whatever name called;
- (b) traditional grazing grounds; areas for collection of roots and tubers, fodder, wild edible fruits and other minor forest produce; fishing grounds; irrigation systems; sources of water for human or livestock use, medicinal plant collection territories of herbal practitioners;
- (c) remnants of structures built by the local community, sacred trees, groves and ponds or riverine areas, burial or cremation grounds;

(3) The Gram Sabha, the Sub-Divisional Level Committee and the District Level Committee shall consider more than one of the above-mentioned evidences in determining the forest rights.

**14. Petitions to Sub-Divisional Level Committee.**— (1) Any person aggrieved by the resolution of the Gram Sabha may within a period of sixty days from the date of the resolution file a petition to the Sub-Divisional Level Committee.

(2) The Sub-Divisional Level Committee shall fix a date for the hearing and intimate the petitioner and the concerned Gram Sabha in writing as well as through a notice at a convenient public place in the village of the petitioner at least fifteen days prior to the date fixed for the hearing.

(3) The Sub-Divisional Level Committee may either allow or reject or refer the petition to concerned Gram Sabha for its reconsideration.

(4) After receipt of such reference, the Gram Sabha shall meet within a period of thirty days, hear the petitioner, pass a resolution on that reference and forward the same to the Sub-Divisional Level Committee.

(5) The Sub-Divisional Level Committee shall consider the resolution of the Gram Sabha and pass appropriate orders, either accepting or rejecting the petition.

(6) Without prejudice to the pending petitions, Sub-Divisional Level Committee shall examine and collate the records of forest rights of the other claimants and submit the same through the concerned Sub-Divisional Officer to the District Level Committee.

(7) In case of a dispute between two or more Gram Sabhas and on an application of any of the Gram Sabhas or the Sub-Divisional Level Committee on its own, shall call for a joint meeting of the concerned Gram Sabhas with a view to resolving the dispute and if no mutually agreed solution can be reached within a period of thirty days, the Sub-Divisional Level Committee shall decide the dispute after hearing the concerned Gram Sabhas and pass appropriate orders.

**15. Petitions to District Level Committee.**— (1) Any person aggrieved by the decision of the Sub-Divisional Level Committee may within a period of sixty days from the date of the decision of the Sub-Divisional Level Committee file a petition to the District Level Committee.

(2) The District Level Committee shall fix a date for the hearing and intimate the petitioner and the concerned Sub-Divisional Level Committee in writing as well as through a notice at a convenient public place in the village of the petitioner at least fifteen days prior to the date fixed for the hearing.

(3) The District Level Committee may either allow or reject or refer the petition to concerned Sub-Divisional Level Committee for its reconsideration.

(4) After receipt of such reference, the Sub-Divisional Level Committee shall hear the petitioner and the Gram Sabha and take a decision on that reference and intimate the same to the District Level Committee.

(5) The District Level Committee shall then consider the petition and pass appropriate orders, either accepting or rejecting the petition.

(6) The District Level Committee shall send the record of forest rights of the claimant or claimants to the District Collector or District Commissioner for necessary correction in the records of the Government.

(7) In case there is a discrepancy between orders of two or more Sub-Divisional Level Committees, the District Level Committee on its own, shall call for a joint meeting of the concerned Sub-Divisional Level Committees with a view to reconcile the differences and if no mutually agreed solution can be reached, the District Level Committee shall adjudicate the dispute after hearing the concerned Sub-Divisional Level Committees and pass appropriate orders.

[ F. No. 17014/02/2007-PC&V (Vol. VII) ]

Dr. BACHITTAR SINGH, Jt. Secy.

#### ANNEXURE I

[See rule 6(1)]

#### FORM - A

#### CLAIM FORM FOR RIGHTS TO FOREST LAND

[See rule 11(1)(a)]

1. Name of the claimant (s) :
2. Name of the spouse :
3. Name of father/mother :
4. Address :
5. Village:
6. Gram Panchayat:
7. Tehsil/Taluka:

8. District:
9. (a) Scheduled Tribe: Yes/ No  
(Attach authenticated copy of Certificate)
- (b) Other Traditional Forest Dweller: Yes/ No  
If a spouse is a Scheduled Tribe (attach authenticated copy of certificate)
10. Name of other members in the family with age:  
(including children and adult dependents)

## Nature of claim on land :

1. Extent of forest land occupied
  - (a) for habitation
  - (b) for self-cultivation, if any :  
[See Section 3(1)(a) of the Act]
2. Disputed lands if any:  
[See Section 3(1)(f) of the Act]
3. Pattas/ leases/ grants, if any:  
[See Section 3(1)(g) of the Act]
4. Land for *in situ* rehabilitation or alternative land, if any:  
[See Section 3(1)(m) of the Act]
5. Land from where displaced without land compensation:  
[See Section 4(8) of the Act]
6. Extent of land in forest villages, if any:  
[See Section 3(1)(h) of the Act]
7. Any other traditional right, if any:  
[See Section 3(1)(l) of the Act]
8. Evidence in support:  
(See Rule 13)
9. Any other information:

Signature/ Thumb Impression  
of the Claimant(s):

## FORM - B

## CLAIM FORM FOR COMMUNITY RIGHTS

[See Rule 11(1)(a) and (4)]

1. Name of the claimant(s) :
  - a. FDST community : Yes/ No
  - b. OTFD community : Yes/ No
2. Village :
3. Gram Panchayat :
4. Tehsil/Taluka :



## 5. District :

Nature of community rights enjoyed :

1. Community rights such as *nistar*, if any :  
[See Section 3(1)(b) of the Act]
2. Rights over minor forest produce, if any :  
[See Section 3(1)(c) of the Act]
3. Community rights :
  - a. uses or entitlements (fish, water bodies), if any :
  - b. Grazing, if any :
  - c. Traditional resource access for nomadic and pastoralist, if any :  
[See Section 3(1)(g) of the Act]
4. Community tenures of habitat and habitation for PTGs and pre-agricultural communities, if any :  
[See Section 3(1)(e) of the Act]
5. Right to access biodiversity, intellectual property and traditional knowledge, if any :  
[See Section 3(1)(k) of the Act]
6. Other traditional right, if any :  
[See Section 3(1)(l) of the Act]
7. Evidence in support :  
(See Rule 13)
8. Any other information :

Signature/Thumb Impression  
of the Claimant(s) :

## ANNEXURE-II

[See Rule 8(h)]

## TITLE FOR FOREST LAND UNDER OCCUPATION

1. Name(s) of holder(s) of forest rights (including spouse) :
2. Name of the father/mother :
3. Name of dependents :
4. Address :
5. Village/Gram Sabha :
6. Gram Panchayat :
7. Tehsil/Taluka :
8. District :
9. Whether Scheduled Tribe or Other Traditional Forest Dweller
10. Area :
11. Description of boundaries by prominent landmarks including khasra/compartment No. :

This title is heritable, but not alienable or transferable under Sub-section (4) of Section 4 of the Act.

We, the undersigned, hereby, for and on behalf of the Government of (Name of the State) .....affix our signatures to confirm the above forest right.

Divisional Forest Officer/Deputy  
Conservator of Forests

District Tribal Welfare Officer

District Collector/Deputy Commissioner

## ANNEXURE III

[See Rule 8(h)]

## TITLE TO COMMUNITY FOREST RIGHTS

1. Name(s) of the holder(s) of community forest right :
2. Village/Gram Sabha :
3. Gram Panchayat :
4. Tehsil/Taluka :
5. District :
6. Scheduled Tribe/Other Traditional Forest Dweller :
7. Nature of community rights :
8. Conditions if any :
9. Description of boundaries including customary boundary and/or by prominent landmarks including khasra/compartment No. :

Name(s) of the holder(s) of community forest right :

1. ....
2. ....
3. ....

We, the undersigned, hereby, for and on behalf of the Government of (Name of the State) ..... affix our signatures to confirm the forest right as mentioned in the Title to the above mentioned holders of community forest rights.

**Divisional Forest Officer/Deputy  
Conservator of Forests**

**District Tribal Welfare Officer**

**District Collector/Deputy Commissioner**



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]  
No. 58]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2008/माघ 17, 1929  
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2008/MAGHA 17, 1929

जनजातीय कार्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008

**सा.का.नि. 73(अ).**—अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 से संबंधित भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2008 द्वारा उसी तारीख को प्रकाशित हुई थी :-

(i) पृष्ठ 1, नियम 1 के उप-नियम (1) में “नियम, 2007” के स्थान पर “नियम, 2008” पढ़ें;

(ii) पृष्ठ 7 में, “प्ररूप-क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप  
[नियम 11(1)(क) देखें]”, के स्थान पर,

“भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्ररूप-क

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11(1)(क) देखें]”, पढ़ें;

(iii) पृष्ठ 8 में, “प्ररूप-ख

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप  
[नियम 11(1)(क) और (4) देखें]”, के स्थान पर,

“भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्ररूप-ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 11(1)(क) और 11(4) देखें]”, पढ़ें;

(iv) पृष्ठ 9 में, “उपाबंध 2

[नियम 8(ज) देखें]”, के स्थान पर,

“उपाबंध 2

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8(ज) देखें]”, पढ़ें;

(v) पृष्ठ 10 में, “उपाबंध 3

[नियम 8(ज) देखें]”, के स्थान पर,

“उपाबंध 3

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का नियम 8(ज) देखें]”, पढ़ें;

- (vi) पृष्ठ 10 के अंत में,  
 “ [फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]  
 डॉ. बचितर सिंह, संयुक्त सचिव” अंतःस्थापित करें।  
 [फा. सं. 17014/02/2007-पीसी एंड वी (जिल्द VII)]  
 डॉ. बचितर सिंह, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th February, 2008

**G.S.R. 73(E).**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs, relating to the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007, published *vide* number G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2008, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) of the same date:—

- (i) at page 10, in sub-rule (1) of rule 1, for “Rules, 2007”,  
read “Rules, 2008”;
- (ii) at page 15,  
for “FORM-A  
 CLAIM FORM FOR RIGHTS TO  
 FORESTLAND  
 [See rule 11(1)(a)]”,  
read “Government of India  
 Ministry of Tribal Affairs  
 FORM-A  
 CLAIM FORM FOR RIGHTS TO  
 FOREST LAND  
 [See rule 11(1) (a) of the Scheduled  
 Tribes and Other Traditional Forest  
 Dwellers (Recognition of Forest Rights)  
 Rules, 2008]”;
- (iii) at page 16,  
for “FORM - B

# CLAIM FORM FOR COMMUNITY RIGHTS

[See Rule 11(1) (a) and (4)]”;

read “Government of India  
 Ministry of Tribal Affairs  
 FORM-B

# CLAIM FORM FOR COMMUNITY RIGHTS

[See rule 11(1) (a) and 11(4) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]”;

(iv) at page 17,

for “ANNEXURE- II  
 [See Rule 8(h)]”,

read “ANNEXURE-II  
 Government of India  
 Ministry of Tribal Affairs

[See rule 8(h) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]”;

(v) at page 18,

for “ANNEXURE-III  
 [See Rule 8(h)]”,

read “ANNEXURE-III  
 Government of India  
 Ministry of Tribal Affairs

[See rule 8(h) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008]”;

(vi) at page 18, at the end,

insert “[F.No. 17014/02/2007-PC&V (Vol. VII)]  
 Dr. Bachittar Singh, Joint Secretary”.

[F.No. 17014/2/2007-PC&V (Vol.VII)]  
 Dr. BACHITTAR SINGH, Jt. Secy.